

डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक संख्या : लो०आ०वि०/ सम्ब०/ अनापत्ति / २०२०/ ७०९

दिनांक : २१-०२-२०२०

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-२-२०१२- २(१६६)/२०१२ दिनांक: ०९ अगस्त, २०१२ के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश दिनांक: १४ नवम्बर २०१४ के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक २९. फरवरी २०२० में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी सीता देवी महाविद्यालय सिरौली, गौसपुर बाराबंकी द्वारा प्रस्तावित सीता देवी महाविद्यालय पारिजातधाम, बरौलिया बाराबंकी, को स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी०एस-सी०(कृषि) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक ०९.०८.२०१२ के क्रम में जिलाधिकारी जनपद बाराबंकी, के पत्रांक ८२२/पॉच-भ०व्य०-अनापत्ति/२०२० दिनांक २५ फरवरी २०२० के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

१. यह अनापत्ति सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक २५.०२.२०२० के आधार पर निर्गत की जा रही है। तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः आंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि के विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
२. इस अनापत्ति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का संचालन ग्राम वरौलिया परगना बदोसराय तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी, स्थित गाटा संख्या ५४५/२.०३८, एवं ग्राम खोरएतमादपुर गाटा सं०१०९/१.११९, २९७/०.११०, ३८७/०.१६५, १५६/०.१५३, ग्राम सरदहा परगना बदोसराय १६क/१८/०.२४०, १६क/३४/०.४१०, १८क/४८/०.०२३ कुल ३कि०/०.६७३/४/५/०.५३८, गाटा सं० ३००क/०.५४२, १६घ/०.३९६, गाटा संख्या १७छ/०.५११, १८ख/०.९७६, ३१ख/०.२७५, ८८घ/३४४/०.०७०, २४४/०.०२०, २४५ख/०.०३० कुल ७ किता १.१३८ ग्राम मानपुर परगना दरियाबाद गाटा संख्या १५कि०/०.९८७, २७कि०/०.८९९, १७कि०/०.६४६, पीठापुर, परगना दरियाबाद मे४३४ में ०.२०२ हेतु कुल भूमि ८.९३३.हेतु पर राष्ट्रीय भवन संहिता २००५ के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि/भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
३. महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।
४. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु आवेदन, निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों दिनांक: १४ नवम्बर २०१४ द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सम्बन्ध की जायेगी। शासनादेश द्वारा निर्धारित अवधि के उपरान्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
५. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहायता/राज सहायता की मांग नहीं की जायेगी।
६. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
७. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-३०७५/सत्तर-२-२००२-२(०१६६)/२००२ दिनांक २७ सितम्बर, २००२ एवं समय-समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकताये एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

8. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उ0प्र0 शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
9. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
10. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, सह खातेदारी की भूमि का विधिवत बंटवारा सम्बद्धता के पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।
11. शासनादेश संख्या 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर (सत्र 2020-21 हेतु 10 जनवरी 2020) के पश्चात प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाधन (किलयरेन्स) अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
12. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संरक्षित पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, सीता देवी महाविद्यालय पारिजातधाम, बरौलिया बाराबंकी।
3. प्रोग्रामर, ₹०३०००० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. पत्रावली।

उप कुलसचिव
AP